उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

410384

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि -	रु0 2,86,273/-
बाजार मूल्य -	रु0 4,56,000/-
अदा किये गये स्टाम्प शुल्क -	रु0 45,600/-

भूमि का प्रकार -	कृषि
परगना -	[illegible]
ग्राम -	[illegible]
सम्पत्ति का विवरण -	भूमि खसरा [illegible]

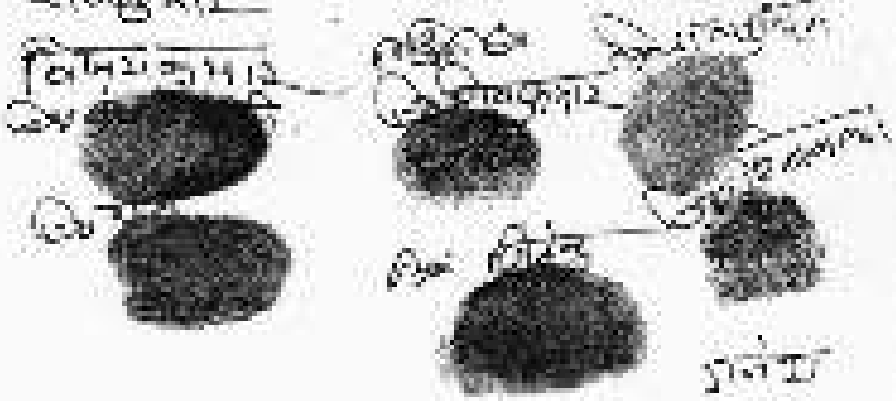

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

२००००

Rs. 20000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 20000 रु.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

312129

- 2 -

[redacted]

0.038 हेक्टेयर आराजी 380 [illegible] स्थित ग्राम [illegible] परगना, तहसील व जिला [illegible]।

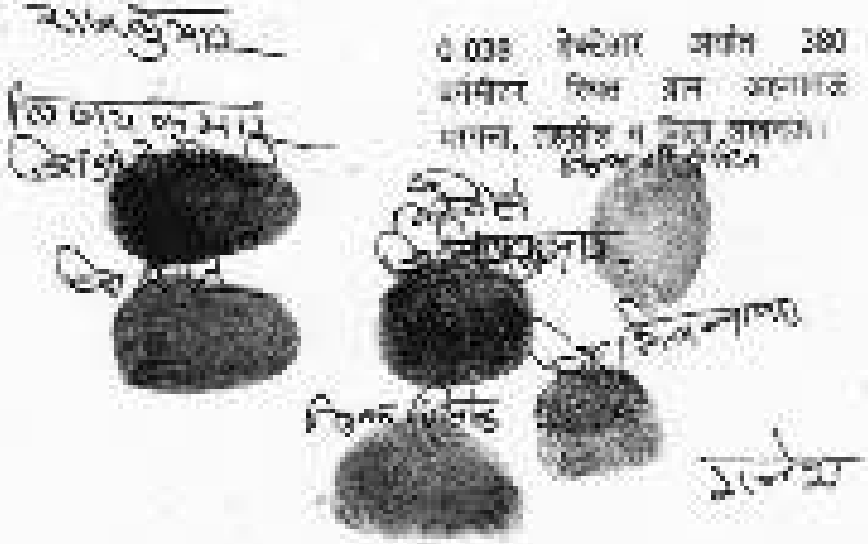

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 589153

-1-

5.	मानक की दर		वर्गमीटर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	380 वर्गमीटर
7.	सड़क की स्थिति	-	सुल्तानपुर रोड व आगरा[illegible] पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	-	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	-	नहीं
10.	बोरिंग/ कुआं अन्य	-	कुछ भी नहीं है।

चौहद्दी खसरा नं० 817

उत्तर - खसरा नं०- [illegible]

दक्षिण - खसरा नं०-[illegible]

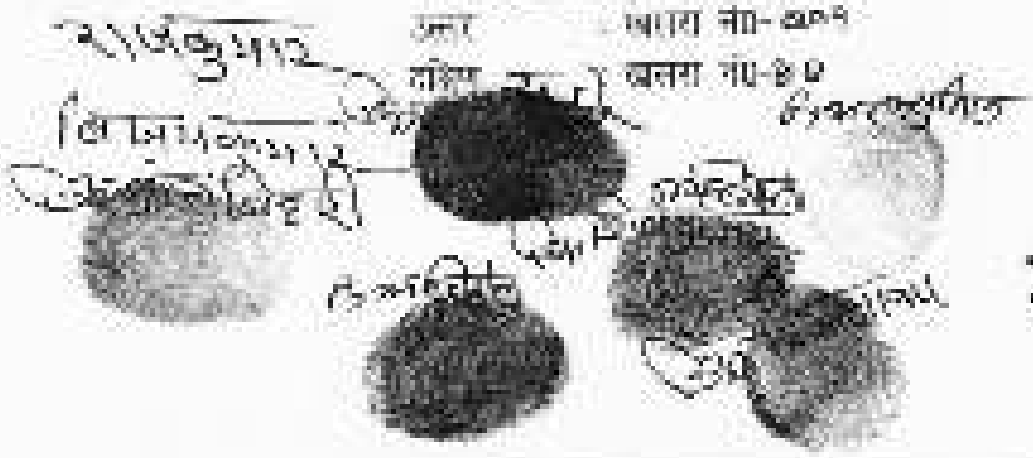

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

I 589148

-4-

पृष्ठ	:	खसरा नं०- ८०२,८१०
पंजिका	:	खाता नं०- ७१३

प्रथम पक्ष की संख्या- 9 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
1. रामकुमार 2. कुंज बिहारी 3. विजय कुमार 4. राजू पुत्रगण दुलारे 5. नन्हे पुत्र मंगलू 6. शिवकुमार 7. विनोद कुमार 8. रामसुमिरन पुत्रगण जगन्नाथ 9. श्रीमती शिवनाथा पत्नी स्व० जगन्नाथ निवासीगण ग्राम		गनेश पुत्र मिश्रीलाल निवासी ग्राम मिर्जापुर बिहारी पो० गौतीह, तहसील व जिला फतेहपुर।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH T 589147

अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ।	
व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

पक्ष विक्रय विलेख 1. रामकुमार 2. कुंज बिहारी 3. विनय कुमार 4. राजू पुत्रगण दुलारे 5. नन्हे पुत्र अंगनू 6. शिवकुमार 7. जितेन्द्र कुमार 8. रामसुमिरन पुत्रगण जगन्नाथ 9. श्रीमती शिवलता पत्नी स्व0 जगन्नाथ निवासीगण ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है एवम् मुकेश पुत्र मिथिलेश निवासी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 589150

ग्राम मिर्जापुर मिटारी पो0 मौगंज, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या 817 रकबा 0.036 हेक्टेअर अर्थात 360 वर्गमीटर स्थित ग्राम अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व दाखिल है तथा उपरोक्त सम्पत्ति अद्यावधिक खाता खतौनी खाता संख्या 00265 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता को उक्त भूमि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   T 589151

विक्रय का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा कोता बै इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरकारी भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग व पट्टे की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 589152

अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या लाभ इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण [illegible] करने

का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 2,06,273/- के प्रतिफल में निम्नवत उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को वसूली करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण व उनके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उनके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे व अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो

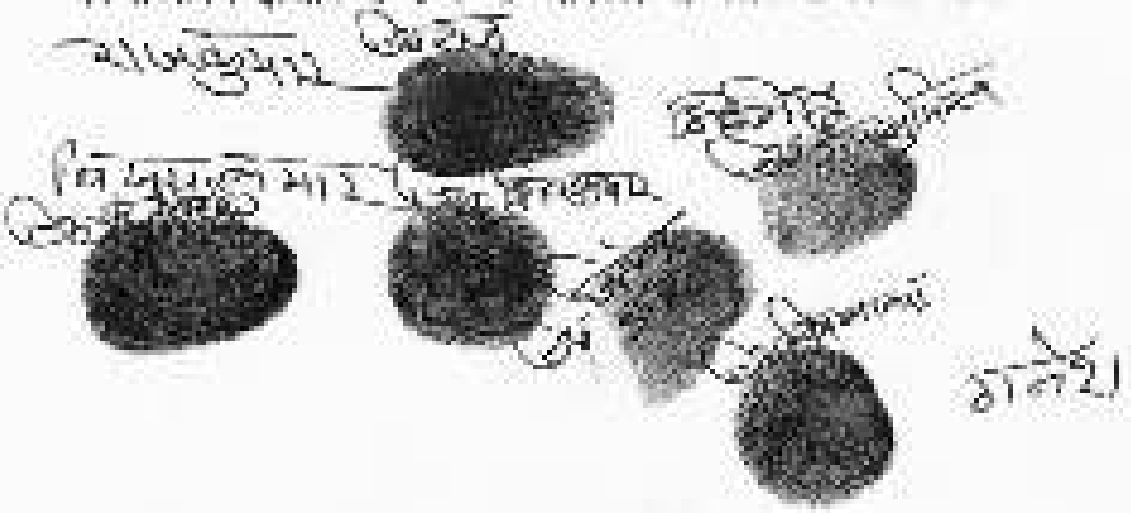

क्रेता उसके वारिसान, स्थानापन्न इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें उस स्थिति मे विक्रेतागण एवं उनके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

यह कि विक्रेतागण यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखो मे अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी ।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है चूंकि भूमि 5 बिस्वा से कम है इसलिए निर्धारित आवासीय सर्किल रेट रू0 1200/- प्रति वर्गमीटर के हिसाब से विक्रीत भूमि 380 वर्गमीटर की मालियत 4,56,000/- होती है

चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार बाजारू मूल्य पर ही रु0 45,600/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़, इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की अकृषीय गतिविधियां नहीं चल रही है न कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के आसपास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। क्रेता व विक्रेतागण दोनों अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

<u>परिशिष्ट: भुगतान विवरण</u> 5

1. विक्रेता को रु0 2,86,273/- द्वारा चेक संख्या 575895 दिनांकित 15.10.2007 पंजाब नेशनल बैंक, इस्माईलगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेतागण को कुल विक्रय मूल्य 2,86,273/- (रुपया दो लाख छियासी हजार दो सौ तिहत्तर मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी

विक्रय पत्र

286,275.00	496,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
पंजीकरण	प्रतिफल	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती राजकुमार

पुत्र / पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी स्थायी [illegible]

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक [illegible]/12/2007 समय [illegible] PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

ए.एस.यादव

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

[illegible]/12/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती राजकुमार

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

क्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

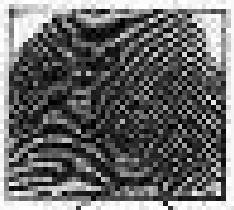

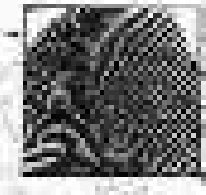

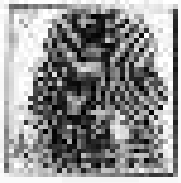

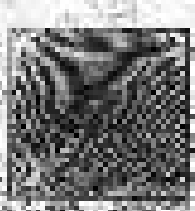

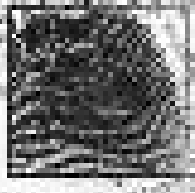

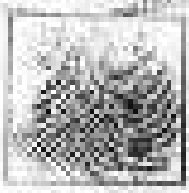

प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं तथा अब विक्रेता को क्रेता से कुछ भी लेना शेष नहीं है।

नोट:- पृष्ठ संख्या 2 की ऊपर की तीन लाइनें पेन से कटी हुई है।

लखनऊ:

दिनांक : 15.10.2007

गवाह :-क्रेता की पहचान की

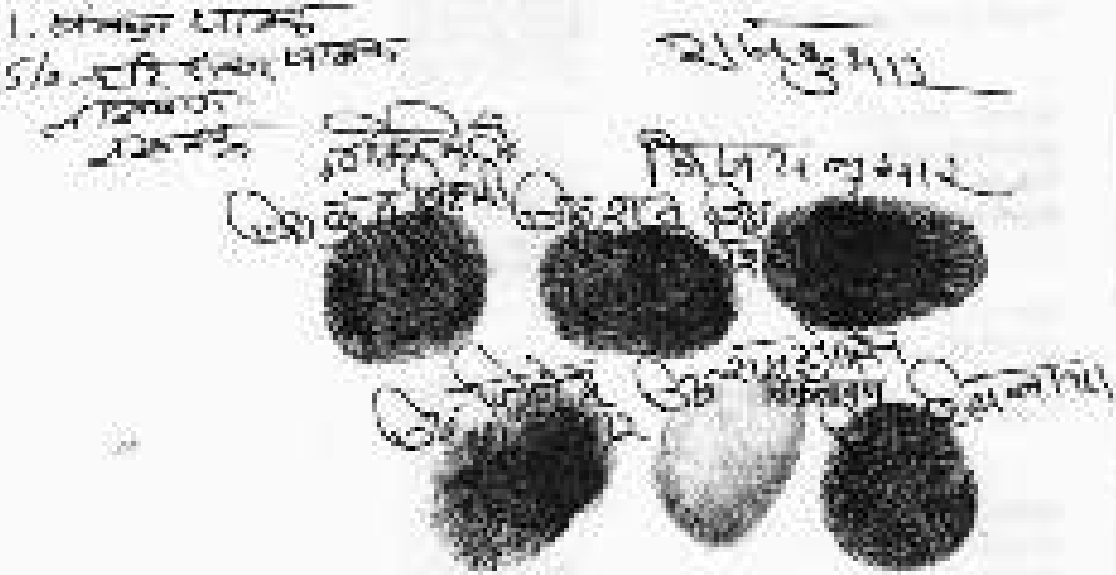

1.

2. विक्रेता की पहचान की

क्रेता

टाईपकर्ता

(गोनू कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(वैंकट रमन सिंह)
एडवोकेट

[illegible]
[illegible]
पेशा कृषि
[illegible]

[illegible]
[illegible]
पेशा कृषि
[illegible]

[illegible]
[illegible]
पेशा कृषि
[illegible]

[illegible]
[illegible]
पेशा कृषि
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

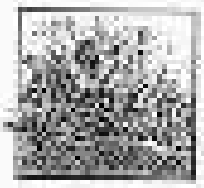

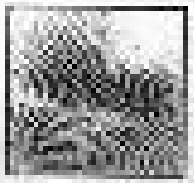

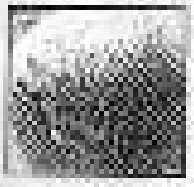

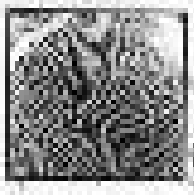

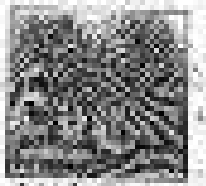

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] - ৪৭

[illegible]

[illegible]

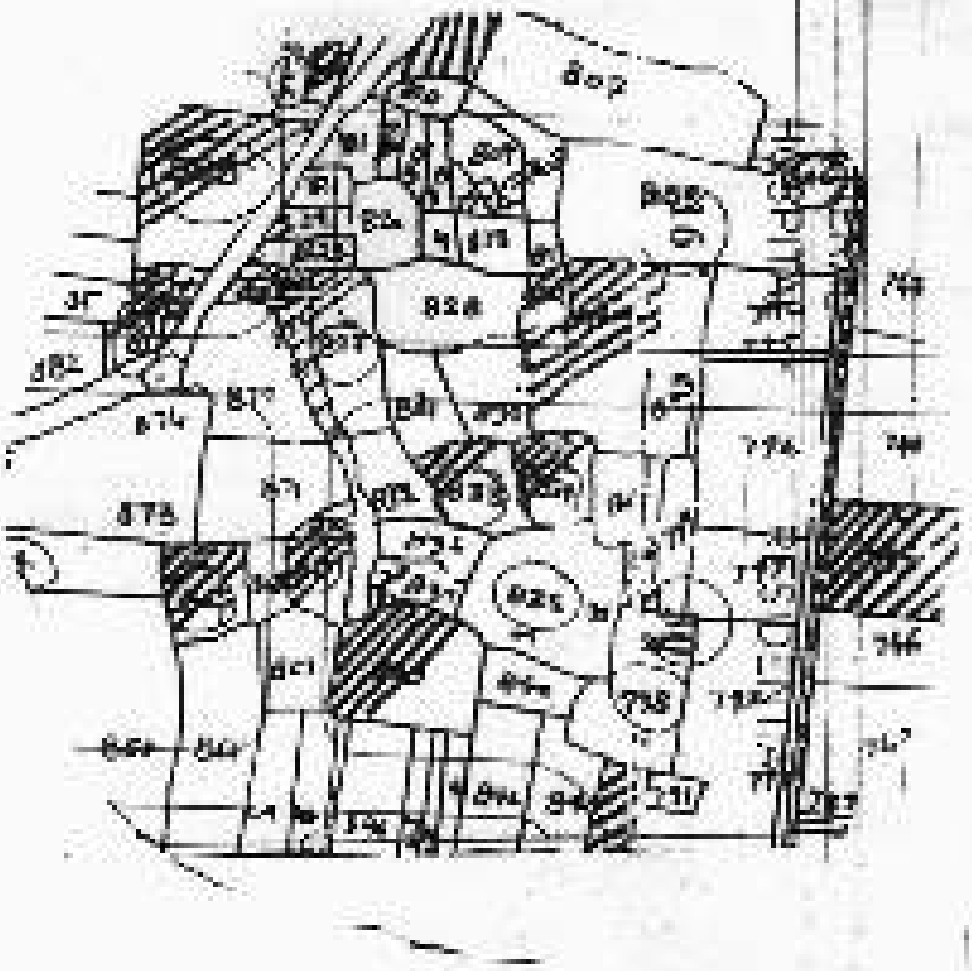

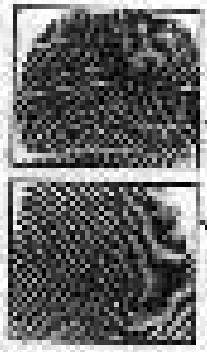

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री [illegible] पाठक

पुत्र श्री [illegible] पाठक

पेशा नौकरी

निवासी [illegible] लखनऊ

व श्री [illegible] कुमार

पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible] लखनऊ

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

एस.एल.पाल

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

1?/10/2007

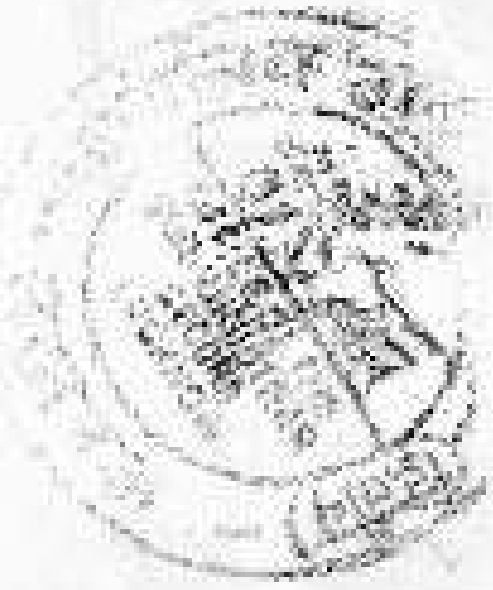

...अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

विक्रेता का नाम व पता ....

....

...हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

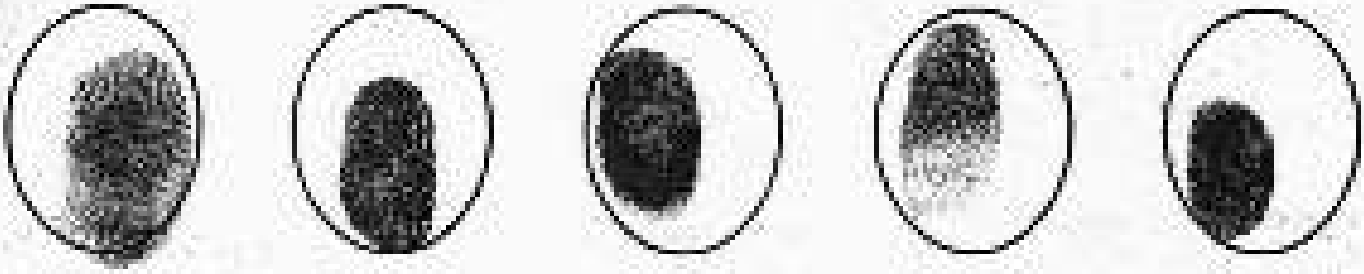

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : ....

....

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

Registration No. 9412 Year : 2007 Book No. 1

0101 [illegible]

पुत्र [illegible]

[illegible]

कृषि

0102 [illegible]

पुत्र [illegible]

[illegible]

कृषि

0103 [illegible]

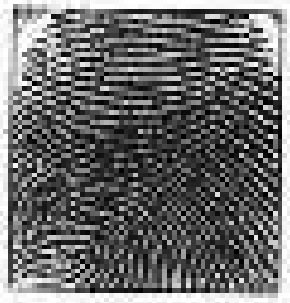

पुत्र [illegible]

[illegible]

कृषि

0104 [illegible]

पुत्र [illegible]

[illegible]

कृषि

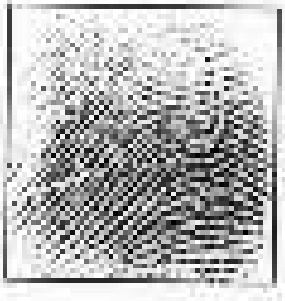

...अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

विक्रेता का नाम व पता .... [illegible]

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विजय कुमार

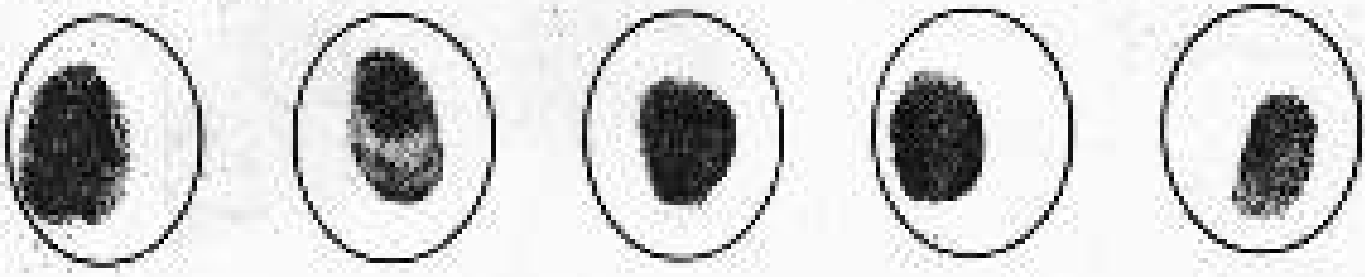

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : .... [illegible]

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

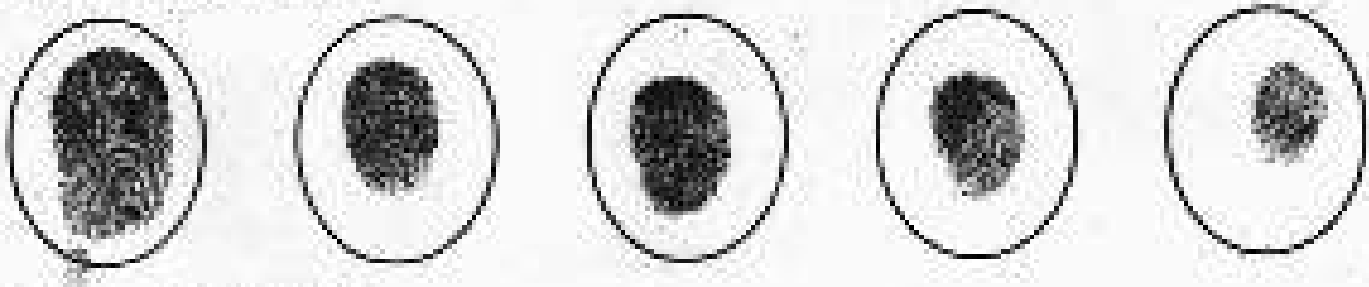

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

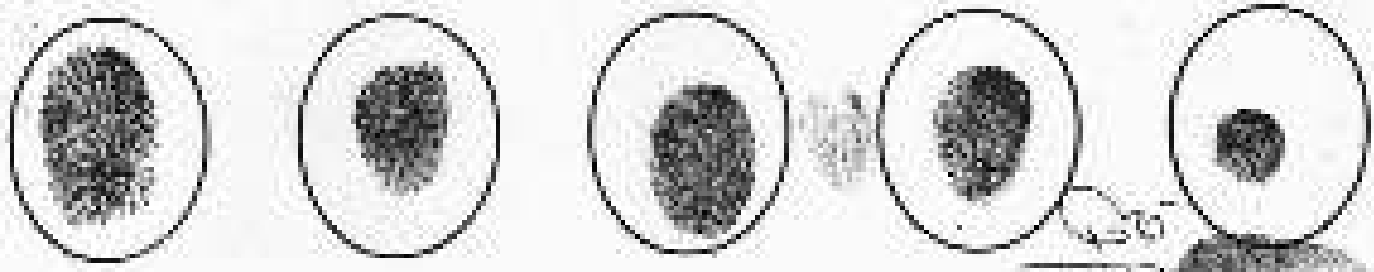

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

Registration No 9410 Year : 2007 Book No. 1

0105 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0106 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

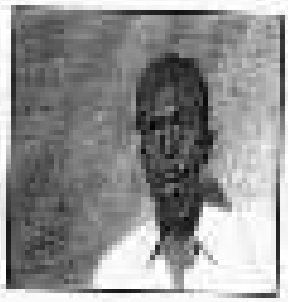

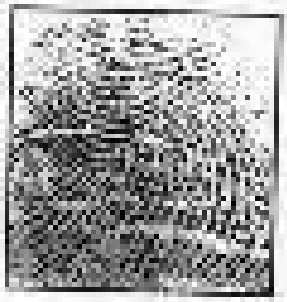

0107 [illegible]

[illegible]

[illegible]

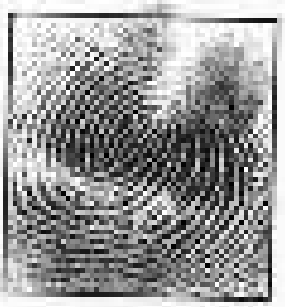

[illegible]

0108 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

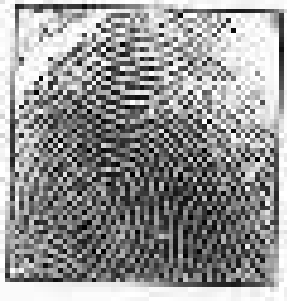

अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

क्रेता का नाम व पता ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

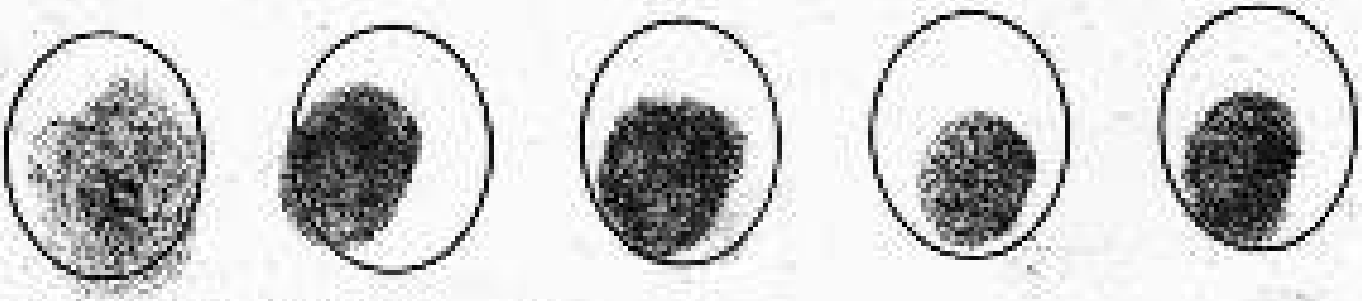

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

अनुबन्धकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

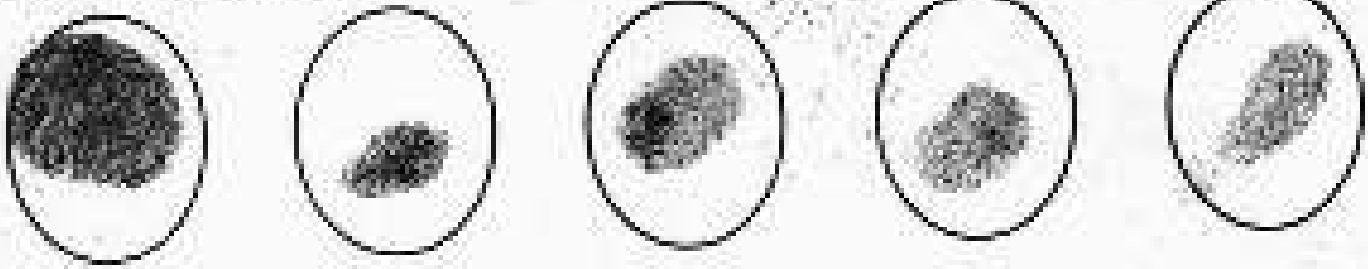

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

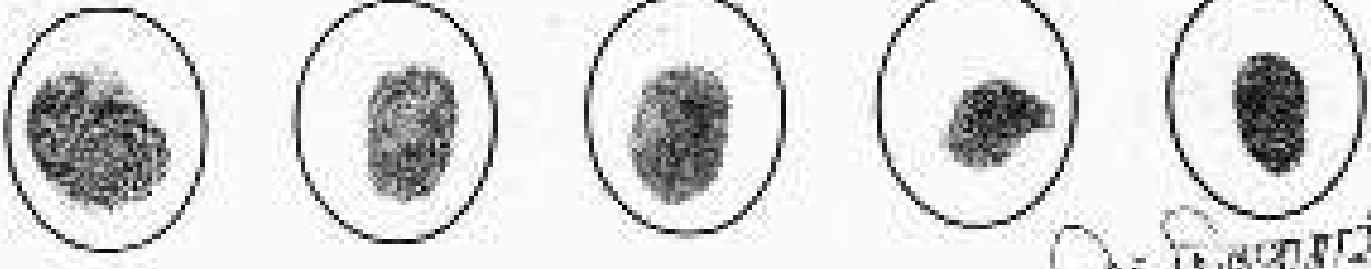

के हस्ताक्षर

Registration No. 9412

Year 2007

Book No. 1

2109 [illegible]

4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

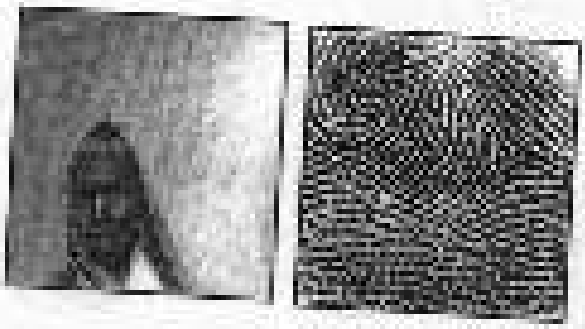

अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

क्रेता का नाम व पता ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

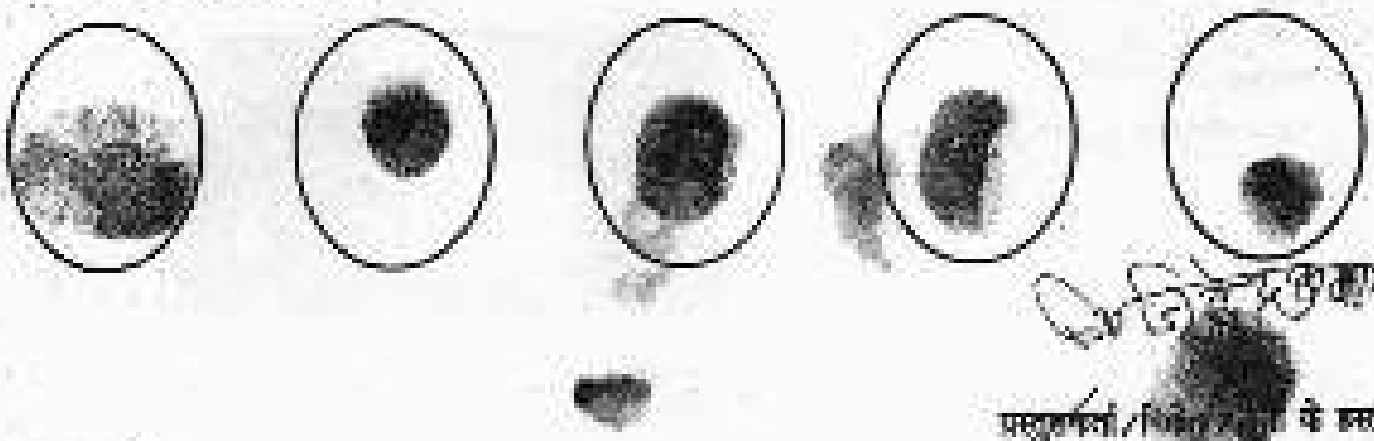

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

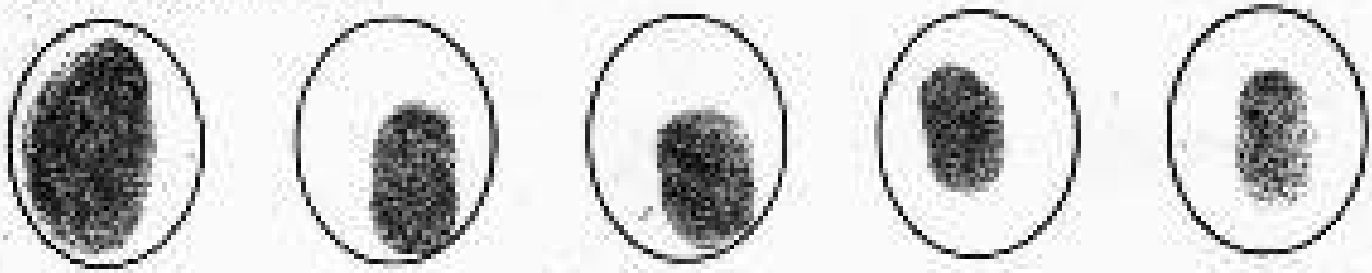

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. 9412 वें Year : 2007 Book No. 1

0201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

शन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

/विक्रेता का नाम व पता ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

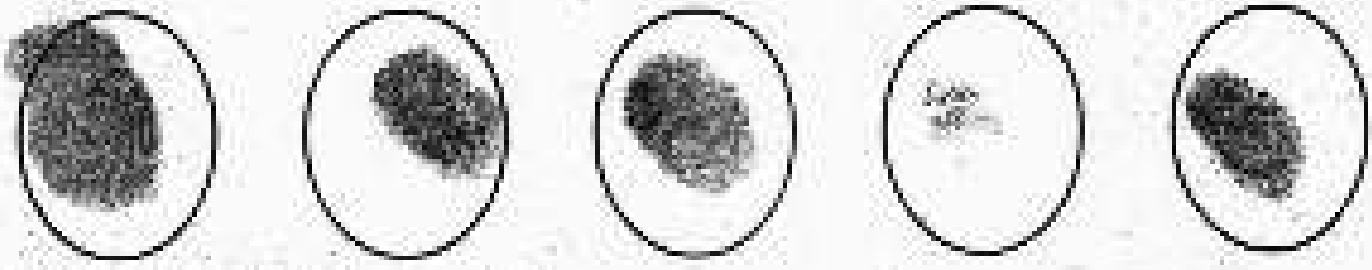

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

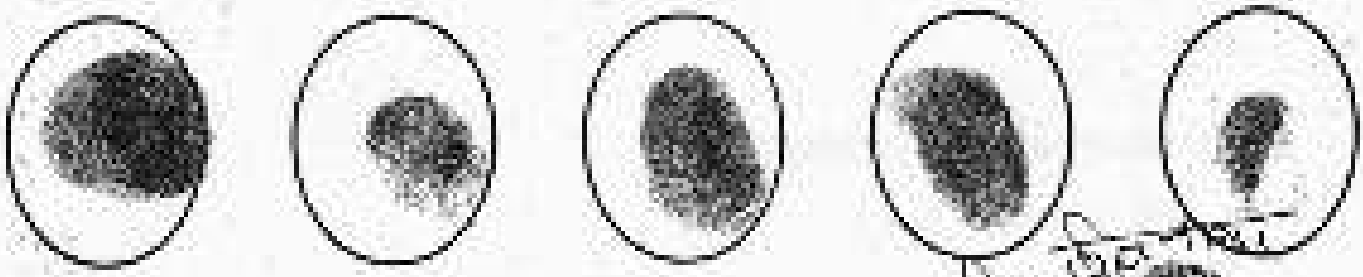

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक **16/10/2007** को

बही सं **1** जिल्द सं **6976**

पृष्ठ सं **29** से **64** पर क्रमांक **9412**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस.एन.राम

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

16/10/2007